



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2009/श्रावण 9, 1931

No. 1197]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2009/SRAVANA 9, 1931

गृह पंशालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2009

New Delhi, the 31st July, 2009

का.आ. 1871(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अगस्त, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

S.O. 1871(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby appoints the 1st day of August, 2009, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[फा. सं. आई-45026/1/2002/पर्स-II/III-Vol. II]

[F. No. I-45026/1/2002/Pers-II/III-Vol. II]

अशोक लवासा, संयुक्त सचिव

ASHOK LAVASA, Jt. Secy.